

**कार्यालय,  
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1071

अवकाश: दिनांक: 15-8-2020

--कार्यालय प्रारूप--

अधिकांश सरकारी लखनऊ की शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय कार्यपालक और इम्प्लॉयर्स नई दिल्ली द्वारा दिये गए 2020-21 हेतु दिल्लीमा स्तरीय लखनऊ शिक्षण सम्बद्धताओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद सभासदों में बैठक कायम हुई। बैठक में सचिव द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अधोसहित नई लखनऊ को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित लखनऊ को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश समता युक्ति सहित अन्य मदों पर विचार कलाए हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त में अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के पत्र-3 में विस्तार के इन कार्यवाही पाठ्यक्रम संचालित करने वाली सभी पूर्व से सम्बद्धताओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा महान विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

- निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्सी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीएसीआईओ द्वारा उन्हें बधावपूर्व अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीएसीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश समता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर सचिव द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीएसीआईओ द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को अंतिम सम्बद्धता समिति की बैठक में लिए गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संख्या को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित सारों के जर्नल पाठ्यक्रम एवं प्रवेश समता प्रवेश समता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संख्या कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीएसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश समता	पीएसीआईओ/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश समता
1	2014	लखनऊ जगत कुल, महाविद्यालय, मस्तुन नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	द्वितीय श्रेणी फार्सी	04	06

**सम्बद्धता हेतु सार**

- ✓ संस्था पीएसीआईओ/पीएसीआईओ द्वारा संचालित की गयी सारों का पूर्णतः प्रमाण प्रदान करेंगे।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एनए 1982 एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, विनियम विनियमवली-2010 एवं अन्य विहित विधियों एवं सारों को अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण सचिव द्वारा प्रेषित शुल्क तीन सप्ताह की अवधि में प्रेषित करेगी ₹ 30,000.00/- अधिसूचना, ता सचिव राजकीय पाठ्यक्रम हेतु 88-43,000.00/- अधिसूचना एन एन 1984 की शर्तों के अधीन पाठ्यक्रमों (ता सचिव राजकीय पाठ्यक्रम में अधिसूचना) हेतु 88-22,600.





विषय, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशकालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बंध लागू किया जाता है तथा दूसरा बंध के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निहित किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करना होगी।

- ✓ डिप्लोमा इन कॉमर्सी पाठ्यक्रम संघर्षित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा विषय, उत्तर प्रदेश शासन, द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पीठरीडआउट से अनुमोदन प्राप्त कर विषय कक्षाओं का उपलब्ध कराना होगा अतः उन्हें प्रवेश की जाहज़ूतियाँ के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्दिष्ट नवीनतम आकांक्षित नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सफल सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्थापना, सफलता, उपलब्धता आदि विवरण प्रकाशित करने यात्रा शुरू, छात्रावास शुरू आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रदेश हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करने के साथ रेगिडरों के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संघर्षित पाठ्यक्रम को पढ़ाने जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अधिस्त, भूमि, भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और विषय को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरीक्षा का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उक्त संस्था को सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के राष्ट्रीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, इकाया, उपकरण एवं अन्य सार-सामान (पेपरवर्क, फोटोकॉपी, प्रिंटर, पीठरीडआउट) के माध्यम से उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विषयनुसार अनुसूचनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पू0स0- प्राविधिकविषय सम्बद्धता/2021/3538-4805

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिश्री:-

प्रधानाचार्य/निदेशक RAJESHWARI ANIL KUMAR MAHAVIDYALAYA, SHAMPLUR GANGA, MALLAWAN, HARDOI-241303

  
(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

  
Principal  
Rajeshwari Anil Kumar  
Mahavidyalaya (Pharmacy)  
Shamplur Ganga, Mallawan (Hardoi)

## कार्यालय

## राजिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

## उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राधिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7817

लखनऊ: दिनांक: 30/08/2022

## :कार्यालय द्वारा:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कामेंसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वैश्विक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संग्रह हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्ण से संश्लिष्ट संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मद्दे पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-


संस्था का कोड एवं नाम : 2014-RAJESHWARI ANIL KUMAR MAHAVIDYALAYA PHARMACY SHAHPUR GANGA, MALLAWAN, HARDOI

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	30	30

## सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, विनियमवली-2000, सेमेस्टर विनियमवली-2018 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु ₹२०,३०,१६०.००/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु ₹१०,४५०००.००/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹१०,२२५००.००/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संपुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अर्हदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विनियमों/अविनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संपुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बनये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तब दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिवृत्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिवृत्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग कार्यक्रम होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत शीतलम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सुचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैलिंग टैकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के औच्चक स्तरीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।




(ए०आई०आर० खान)

सचिव

पू०सं०- प्राथिप/परिषद/सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिनिधि-

प्रधानाचार्य/निदेशक RAJESHWARI ANIL KUMAR MAHAVIDYALAYA PHARMACY SHAHPUR  
GANGA, MALLAWAN, HARDOI


(ए०आई०आर० खान)

सचिव

CA  
Principal  
Rajeshwari Anil Kumar  
Mahavidyalaya (Pharmacy)  
Ganga Mallawan (Hardoi)